


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/381 /

जबलपुर, दिनांक 08/02/2022

श्री सौरभ रजक, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को लेखा अनुभाग में कार्यरत रहते हुये मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों हेतु विशेष नगद पैकेज योजना के क्रियान्वयन के मार्गदर्शन से संबंधित मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल का पत्र क्रमांक 2687 दिनांक 26.08.2021 को अत्यंत विलंब से ढाई माह पश्चात अर्थात दिनांक 16.11.2021 को प्रस्तुत करने की त्रुटि कारित करने के फलस्वरूप चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में कार्यालयीन ड्यूटी के संपादन में सजग रहे, त्रुटि की पुनरावृत्ति करने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी।


  
(राजेन्द्र कुमार वाणी)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/382 /

जबलपुर, दिनांक 08/02/2022

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/आई.एल./न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
2. एस.पी.एस.ए. आई.टी. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
3. रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (ई.)/लेखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.)स्था./न्या., उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
7. सहायक स्थापना/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, म.प्र.
8. ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. श्री सौरभ रजक, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित ।

  
(प्रियदर्शन शर्मा)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)